


समयमैव जगते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2016, शनिवार/भाद्र 6—भाद्र 12, 1938
No. 33] NEW DELHI, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2016, SATURDAY/BHADRA 6—BHADRA 12, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 175.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय की अकानूनी विभागीय कैटीन में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय की अकानूनी विभागीय कैटीन में समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन. — (1) नियमित वेतन मैट्रिक्स में लेवल में विभिन्न पदों पर सभी नियुक्त कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन नियमित पदों पर नियुक्त समझा जाएगा।

(2) उप नियम (1) निर्दिष्ट कर्मचारियों द्वारा संबंधित पदों में की गई सेवाओं को प्रोन्नति, पुष्टि परिवीक्षा की अवधि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

	Sixth Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only to the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
--	---

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not applicable.
1. Commissioner (Head of Department) – Chairman;	
2. Additional or Joint Commissioner – Member;	
3. Administrative Officer or Drawing and Disbursing Officer – Member.	

[F.No. Q.-22013/4/2014-Ad.IC(AAR)]

S. BHOWMICK, Under Secy.

Note:- These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, however, rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the service of the incumbents referred to in the said rule and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, the interest of nobody is likely to be adversely affected.

शहरी विकास मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

सा.का.नि.177.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नागरी कला आयोग, (सचिव) भर्ती नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरी कला आयोग, (सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली नागरी कला आयोग, (सचिव) भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची में, स्तंभ (5) के अधीन “चयन” शब्द के स्थान पर “लागू नहीं होता” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-11013/2/2015-डीडीआईआई]

एस. बी. प्रसाद, अवर सचिव

पद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 66, तारीख 6 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

सा.का.नि.178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (जीव-चिकित्सा/रसायन अभियन्ता) भर्ती नियम, 1977 को उन बातों के सिवाय, अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, में जीव-चिकित्सा अभियंता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, जीव चिकित्सा अभियंता, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि — भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जीव-चिकित्सा अभियंता	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रू. +ग्रेड वेतन 6600 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी सगठनों के अधिकारियों में से :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिसने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15600 - 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 या इसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

आवश्यक :

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रानिक या इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी या इन्स्ट्रूमेंटेसन इंजीनियरी या मकैनिकल इंजीनियरी में डिग्री।
- किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में जीव-चिकित्सा इंजीनियरी में मशीनरी उपस्करों आदि के रखरखाव और मरम्मत में चार वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए-12018/15/2014-ईपीआई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 23rd August, 2016

G.S.R.178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Bio-Medical/Chemical Engineer) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Bio-Medical Engineer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Bio-Medical Engineer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**- The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bio-Medical Engineer.	1* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Deputation (including short term contract)-

From amongst the officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations:

(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.5400/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (i) Degree in Electronics or Electrical Engineering or Instrumentation Engineering or Mechanical Engineering from a recognised university or institute.
- (ii) Four years' experience in maintenance and repair of machinery, equipments, etc. in Bio-Medical Engineering in a recognized hospital.

Note 1: Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.)

Note 2: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-Term Contract).